UPGK010023112026

न्यायालय : सत्र न्यायाधीश, गोरखपुर।

नियमित जमानत प्रार्थना-पत्र संख्या- 984/2026,

शेषनाथ निषाद पुत्र स्व0 रामराज निषाद,
निवासी- ग्राम करहिया, थाना- चिलुआताल,
जिला- गोरखपुर। आवेदक/अभियुक्त,

प्रति

उत्तर प्रदेश राज्य प्रतिपक्षी,

अपराध संख्या- 138/2026,
धारा- 103 (2),191 (2),190,115 (2),352,61 (2),3 (5) भारतीय न्याय संहिता,
थाना- चिलुआताल, जनपद- गोरखपुर।

17.03.2026

आदेश

नियमित जमानत का यह प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा- 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता आवेदक/अभियुक्त शेषनाथ निषाद, जो अपराध संख्या- 138/2026, धारा- 103 (2),191 (2),190,115 (2),352,61 (2),3 (5) भारतीय न्याय संहिता, थाना- चिलुआताल, जनपद- गोरखपुर के अन्तर्गत न्यायिक अभिरक्षा में निरुद्ध है, के द्वारा प्रस्तुत किया गया है।

अभियोजन कथानक के अनुसार दिनांक 04.03.2026 को प्रथम सूचनाकर्ता मुन्ना, प्रथम सूचनाकर्ता के मामा ज्ञानेन्द्र कुमार सिंह व विधाता सांय 03:25 बजे मानीराम रोहिनी नदी के किनारे बने शिव मन्दिर पर बैठे थे इसी बीच संदीप व एक अन्य व्यक्ति पल्सर मोटर साईकिल यू0पी0-53-एफ.जे.-2137 से आये और सामने गोल-गोल घूमाकर धूल उड़ाने लगे तथा मना करने पर गाली-गलौज व हाथापाई करने लगे और इसी बीच उक्त दोनो लोगो द्वारा शोर मचाकर अपने गॉव करहरिया के अन्य लोगो को बुला लिये, जिसमें शेषनाथ, राजन निषाद, विक्की, रमेश, शेषनाथ का एक अन्य लड़का व करहिया गॉव के अन्य 20-25 महिला व पुरूष नाम अज्ञात मौके पर लाठी-डण्डा के साथ आकर प्रथम सूचनाकर्ता, प्रथम सूचनाकर्ता के मामा ज्ञानेन्द्र कुमार सिंह व विधाता को मारना पीटना शुरू कर दिये। प्रथम सूचनाकर्ता व विधाता बीच बचाव करने लगे, लेकिन वे लोग नहीं माने तथा मारपीट के ही दौरान प्रथम सूचनाकर्ता के मामा को खींचकर नदी के किनारे ले गये और लाठी-डण्डे से सीने, पसली व पेट पर गम्भीर वार किये व मृत समझकर छोड़कर चले गये। सूचना पाकर प्रथम सूचनाकर्ता के गॉव मानीराम के अन्य लोग मौके पर पहुॅचे तथा ज्ञानेन्द्र कुमार सिंह को उठाकर ईलाज हेतु निकट अस्पताल गुरू श्री गोरक्षनाथ चिकित्सालय सोनबरसा, बालापार ले

गये जहाॅ उनकी स्थिति गम्भीर देखकर मेडिकल कालेज रेफर कर दिया गया। मेडिकल कालेज पहुॅचने पर डाक्टर द्वारा बताया गया कि ज्ञानेन्द्र कुमार सिंह की मृत्यु हो गयी है।

आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि आवेदक/अभियुक्त सर्वथा निर्दोष एवम् निरपराध हैं। असत्य कथनों के आधार पर उसे इस मामले में लिप्त किया गया है। वस्तुतः आवेदक/अभियुक्त के पुत्र को मृतक व उनके सहयोगियों के द्वारा बुरी तरह मारा-पीटा गया, जिससे आवेदक/अभियुक्त के पुत्र को आंख के ऊपर व शरीर के सारे अंगो पर गम्भीर उपहतियाॅ आयी। अन्य ग्रामीण के लोगो से आवेदक/अभियुक्त के लड़के के घायल होने के बाद मृतक व उसके सहयोगियों से मार-पीट हुई, जिसमें मृतक को गिरने से उसके सिर में उपहति आयी और दौरान ईलाज उनकी मृत्यु हो गयी। आवेदक/अभियुक्त की कोई विनिर्दिष्ट भूमिका दर्शित नहीं है। चिकित्सकीय परीक्षण आख्या के अनुसार मृतक ज्ञानेन्द्र को सिर में मात्र दो उपहतियाॅ आयी हैं, जबकि 20-25 ग्रामीणों को प्राथमिकी में लाठी-डण्डा से मारना कहा गया है। आवेदक/अभियुक्त घटना स्थल पर विद्यमान नहीं था। आवेदक/अभियुक्त के पास से एक छोटा डण्डा बरामद होना दर्शाया गया है, जिस पर आवेदक/अभियुक्त का कोई फिंगर प्रिण्ट नहीं है, न तो पुलिस के द्वारा बरामद डण्डे का फिंगर प्रिण्ट का वैज्ञानिक परीक्षण कराया गया है। आवेदक/अभियुक्त दिनांक 05.03.2026 से जिला कारागार में निरूद्ध है। इन समस्त आधारों पर उन्होंने आवेदक/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने का निवेदन किया है।

अभियोजन पक्ष की तरफ से उपस्थित विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता, दाण्डिक ने जमानत प्रार्थना-पत्र का प्रबल विरोध एवम् खण्डन करते हुए तर्क प्रस्तुत किया है कि आवेदक/अभियुक्त व सह-अभियुक्तो द्वारा आपराधिक षडयन्त्र के तहत एक राय होकर सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण में सूचनाकर्ता मुन्ना, प्रथम सूचनाकर्ता के मामा ज्ञानेन्द्र कुमार सिंह व विधाता को लाठी-डण्डे से मारे-पीटे, जिससे ज्ञानेन्द्र कुमार सिंह को गम्भीर उपहति आने के कारण उनकी मृत्यु हो गयी। आवेदक/अभियुक्त व सह-अभियुक्तो द्वारा गाली-गलौज भी किया गया। आवेदक/अभियुक्त व सह-अभियुक्त संदीप निषाद की निशानदेही पर तथाकथित घटना में प्रयुक्त एक-एक डण्डा बरामद हुआ है। प्रस्तुत प्रकरण में सह-अभियुक्त गौतम निषाद का जमानत प्रार्थना-पत्र इस न्यायालय द्वारा पूर्व में निरस्त किया जा चुका है। अतएव मामले की गम्भीरता एवम् आवेदक/अभियुक्त की कथित अपराध में भूमिका को देखते हुए उनके द्वारा जमानत प्रार्थना-पत्र निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया है।

मैंने जमानत प्रार्थना-पत्र पर आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता तथा उत्तर प्रदेश राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) के विद्वतापूर्ण तर्कों को विस्तारपूर्वक सुना एवम् समस्त अभियोजन प्रपत्रों का परिशीलन किया।

आवेदक/अभियुक्त व सह-अभियुक्तो के विरूद्ध आपराधिक षडयन्त्र के तहत एक राय होकर सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण में ज्ञानेन्द्र कुमार सिंह को लाठी-डण्डा से मार-पीटकर हत्या किये जाने तथा सूचनाकर्ता मुन्ना व विधाता को लाठी-डण्डे से मारने-पीटने व गाली-गलौज किये जाने का गम्भीर अभिकथन है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा-

180 के अन्तर्गत विवेचक को दिये गये कथन में प्रथम सूचनाकर्ता मुन्ना के द्वारा प्राथमिकी में उल्लिखित कथनों का समर्थन करते हुए कथित अपराध में आवेदक/अभियुक्त व सह-अभियुक्त की विशिष्ट भूमिका एवम् भागिता के सम्बन्ध में विस्तृत कथन करते हुए कहा है कि सन्दीप निषाद, शेषनाथ निषाद, गौतम निषाद, रमेश निषाद, विक्की राजभर, राजन निषाद व 20-25 अन्य अज्ञात महिला व पुरूष अपने-अपने हाथों में लाठी-डण्डा के साथ आकर ताबड़तोड मारना-पीटना शुरू कर दिये। मारपीट के ही दौरान ज्ञानेन्द्र कुमार सिंह को खींचकर नदी के किनारे ले गये और लाठी-डण्डे व लात-मुक्के से सीने, पसली, पेट व सिर पर गम्भीर रूप से वार किये, जिससे ज्ञानेन्द्र घायल होकर गिर पड़े। मेडिकल कालेज पहुॅचने पर डाक्टर द्वारा बताया गया कि ज्ञानेन्द्र कुमार सिंह की मृत्यु हो गयी है। उपरोक्त आशय का ही कथन साक्षी विशाल सिंह द्वारा भी विवेचक के समक्ष किये गये हैं।

अन्त्य परीक्षण आख्या ज्ञानेन्द्र कुमार सिंह में चिकित्सक के द्वारा मृतक के शरीर पर 02 उपहतियॉ पायी गयी, जिनमे से पहली उपहति सिर के बाये हिस्से के पिछले भाग पर 6 सेन्टीमीटर X 4 सेन्टीमीटर के आकार का कंटयूजड सूजन मौजूद था तथा चमड़ी को काटने पर हेमोटोमा मौजूद था। खोपड़ी के ब्रेन मेम्ब्रेन को खोलने पर भी रक्त का थक्का मौजूद था। दूसरी उपहति सिर के उपर 5 सेन्टीमीटर X 4 सेन्टीमीटर के आकार का कंटयूजड सूजन मौजूद था तथा चमड़ी को काटने पर रक्त का थक्का मौजूद था और चिकित्सक के द्वारा मृतक के मृत्यु का कारण मृत्युपूर्व सिर में आयी उपहति के परिणामस्वरूप कोमा बताया गया है। प्रस्तुत मामले में अभियोजन द्वारा आवेदक/अभियुक्त की विशिष्ट भूमिका होना बताया गया है। इस स्तर पर आवेदक/अभियुक्त को प्रश्नगत घटना में मिथ्यारोपित किये जाने का कोई ठोस एवम् न्यायोचित आधार विद्यमान नहीं है। आवेदक/अभियुक्त की तरफ से प्रस्तुत तर्क एवम् बचाव में अभिकथित तथ्य साक्ष्य एवम् विचारण का विषय है। प्रस्तुत प्रकरण में साक्ष्य संग्रह की प्रक्रिया प्रचलित है तथा मामला अभी विवेचनाधीन है।

अतएव मामले के गुण-दोष पर अपनी कोई अन्तिम राय व्यक्त किये बिना, इस मामले के सम्पूर्ण तथ्य, परिस्थितियों, अपराध की गम्भीरता तथा आवेदक/अभियुक्त की कथित अपराध में भूमिका को दृष्टिगत रखते हुए आवेदक/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने योग्य नहीं है।

निष्कर्षतः आवेदक/अभियुक्त शेषनाथ निषाद की तरफ से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना–पत्र निरस्त किया जाता है।

दिनांक/गोरखपुर
17 मार्च, 2026

(राज कुमार सिंह)
सत्र न्यायाधीश, गोरखपुर।
J.O Code- UP1889

Digitally signed by RAJ KUMAR SINGH
Date: 2026.03.17 16:10:36 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court